1.	विभाग–	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (सिफ्सा)
2.	योजना का नाम–	**प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना**
3.	योजना संक्षिप्त टिप्पणी–	समस्त गर्भवती/धात्री महिलायें जो 1 जनवरी 2017 अथवा उसके बाद गर्भवती हुई अथवा प्रथम शिशु को जन्म दिया हो, योजना के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। लाभार्थी के पास एकल बैक/पोस्ट ऑफिस खाता एवं लाभार्थी व उसके पति के पास आधार कार्ड नहीं है उस स्थिति में योजना के अन्तर्गत पंजीकरण कराने के उपरान्त आधार कार्ड 90 दिनों में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नोटः– केन्द्र/राज्य/पब्लिक सेक्टर इकाईयों में कार्यरत कर्मियों अथवा किसी भी अन्य समान्तर योजना में लाभ प्राप्त महिलाओं को छोड़कर प्रदेश की समस्त गर्भवती एवं धात्री महिलाऐं जिन्होंने जीवित शिशु को जन्म दिया हो, तो उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। आशा एवं आगवाड़ी कार्यकत्री को योजना का लाभ देय होगा। (गर्भावस्था का पंजीकरण) धनराशि 1000/– यह फार्म प्रत्येक लाभार्थी के लिए अनिवार्य होगा। द्वितीय किश्त : फार्म संख्या–1 बी (कम से कम एक प्रसव पूर्व जाँच) धनराशि 2000/– रू0। तृतीय किश्त : फार्म संख्या–1 सी लाभार्थी तृतीय किश्त धनराशि 2000/–रू0 पाने की पात्र होगी।
4.	पात्रता की अर्हता–	समस्त गर्भवती/धात्री महिलायें जो 1 जनवरी 2017 अथवा उसके बाद गर्भवती हुई अथवा प्रथम शिशु को जन्म दिया हो, योजना के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए पात्र होंगे।
5.	आवेदन की प्रक्रिया–	एम0सी0पी0 (मातृ एवं बाल सुरक्षा) की छाया प्रति एवं आवेदन फार्म–1 'ए', 1बी, 1सी, (योजना के अन्तर्गत पंजीकरण/प्रथम , द्वितीय एवं तृतीय किस्त हेतु दावा फार्म) लाभार्थी एवं उसके पति का आधार कार्ड/पहचान प्रमाण पत्र की प्रति लाभार्थी का बैक/पोस्ट ऑफिस खाते का विवरण।
6.	लिंक वेबसाईट	http://sifpsa.org/
7.	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा अपर निदेशक, चिकित्सा, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है ।